1 तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज **निगरानी./एल.आर./7200/2006/गंगानगर** **महावीर बनाम राज0 सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.1.2019	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थिति–** श्री अमृतपाल सिंह वानर, अधिवक्ता प्रार्थी श्री वी0पी0 सिंह, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम,1956) की धारा 84, के अन्तर्गत तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा प्रकरण शीर्षक सरकार बनाम महावीर में पारित निर्णय दिनांक 31–08–2006 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि कस्बा सूरतगढ में प्रार्थी के पक्ष में उप निवेशन तहसीलदार, सूरतगढ–1 द्वारा आराजी खसरा नम्बर 464/2 में रकबा 6.325 है0 राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) 1955 के प्रावधानों के तहत टी0सी0 आवंटन किया गया था जो वर्ष 2061 तक नवीनीकरण होता रहा है। तहसीलदार, सूतरगढ द्वारा प्रार्थी को किसी प्रकार का नोटिस जारी किए बिना और सुनवाई का मौका प्रदान किए बिना आक्षेपित आदेश दिनांक 31–8–2006 से अविधिक रुप से आवंटन को खारिज कर दिया है। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) 1955 के प्रावधानों के अनुसार नियम19–ए की शर्त के अनुसार पट्टा निरस्त करने की शक्तियां जिला कलक्टर को दी गई है और तहसीलदार को इस प्रकार की शक्तियां प्राप्त नहीं है। अतः इस प्रकार तहसीलदार का आदेश नॉन स्पीकिंग व नॉन रीजण्ड होने के साथ साथ क्षेत्राधिकार के बाहर भी रहा है। योग्य अधिवक्ता ने अपने पक्ष में माननीय राजस्व मण्डल के अन्य निर्णय निगरानी संख्या 3407/2006 निर्णय दिनांक 31–1–2017, निगरानी संख्या 199/2007 निर्णय दिनांक 13–11–2017 एवं निगरानी संख्या 2279/2011 निर्णय दिनांक 17–1–2018 को उद्धरित करते हुये निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के आदेश को निरस्त किया जाये।	

1 तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज **निगरानी./एल.आर./7200/2006/गंगानगर** **महावीर बनाम राज0 सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	योग्य राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 15–12–2005 व 08–02–2006 के अनुसारी ऐसी राजकीय भूमियां जो शहरी क्षेत्र की पैराफेरी में आती हैं, उनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है और ना ही ऐसी भूमियों पर किसी प्रकार की पुख्ता खातेदारी प्रदान की जा सकती है। अतः इस प्रकार की स्थिति में तहसीलदार, सूरतगढ ने आक्षेपित निर्णय के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में किये टी0सी0 आवंटन को निरस्त करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। निगरानी में किसी प्रकार का सार नहीं होने से खारिज की जावे। हमने उभय पक्षीय योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश व हमारे समक्ष मण्डल के पूर्व के निर्णयों की प्रस्तुत की गई प्रतियों का अध्ययन व मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी महावीर सिंह सुगना के पक्ष में उप निवेशन तहसीलदार, सूरतगढ–1 द्वारा खसरा नम्बर 464/2 में रकबा 6.325 है0 राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) 1955 के प्रावधानों के तहत टी0सी0 आवंटन किया गया था। तहसीलदार, सूतरगढ द्वारा प्रार्थी को किसी प्रकार का नोटिस जारी किए बिना और सुनवाई का मौका प्रदान किए बिना यह मानते हुये कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 15–12–2005 व 08–02–2006 के अनुसारी ऐसी राजकीय भूमियां जो शहरी क्षेत्र की पैराफेरी में आती हैं, उनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है और ना ही ऐसी भूमियों पर किसी प्रकार की पुख्ता खातेदारी प्रदान की जा सकती है, पूर्व से प्रिण्टैड प्रोफार्मा पर रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुये आवंटन को खारिज किया है। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के नियमों के अनुसार इस प्रकार से जारी किए गए पट्टे को निरस्त करने की शक्तियां जिला कलक्टर को प्रदत्त की गई हैं ना कि सम्बन्धित तहसीलदार को। अतः स्पष्ट है कि तहसीलदार (भू0अ0), सूरतगढ द्वारा पारित किया गया आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जा कर पारित किया गया है, अतः निगरानी आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु सम्बन्धित क्षेत्राधिकार के न्यायालय को भिजवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।	

1 तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज **निगरानी./एल.आर./7200/2006/गंगानगर** **महावीर बनाम राज0 सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः निगरानी **स्वीकार** की जा कर तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा प्रकरण शीर्षक सरकार बनाम महावीर में पारित निर्णय दिनांक 31–08–2006 को निरस्त करते हुये प्रकरण को जिला कलक्टर, श्री गंगानगर को इन निर्देशों के साथ **प्रति प्रेषित** किया जाता है कि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के नियमों व प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी को सुनवाई का उपयुक्त अवसर देते हुये नियमानुकूल निर्णय पारित करें। प्रार्थी दिनांक 29.1.2019 को जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के न्यायालय में उपस्थित हो कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	